रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 71] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 2, 1977/फाल्गुन 11, 1898
No. 71] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 2, 1977/PHALGUNA 11, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 2nd March 1977

G.S.R. 104(E).—In pursuance of rule 34 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following amendment in the notification of the Central Board of Excise and Customs No 27/77-CE, dated the 25th February, 1977, namely —

In the said notification, the following proviso shall be added at the end, namely —

"Provided that in the case of virginia variety of unmanufactured tobacco the validity of a transport certificate or sale note shall, if the transport is by means of a mechanised vehicle for the whole or a part of the distance, be for twelve hours from the time of issue."

[No. 33/77]

N. C. JAIN, Under Secy.

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1977

सी० का० नि० 104(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 34 के अनुसरण में, अपनी अधिसूचना सं० 27/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 25 फरवरी, 1977 में निम्नलिखित संशोधन और करता है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना में, अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु अविनिर्मित तम्बाकू की वर्जीनिया किस्म की दशा में परिवहन प्रमाणपत्र या विक्रयपत्र की विधिमान्यता यदि परिवहन समस्त दूरी तक या उसके भाग तक यन्त्रीकृत यान द्वारा किया जाता है तो, परिवहन प्रमाणपत्र या विक्रय नोट जारी किए जाने के समय से बारह घंटे होगी।"।

[सं० 33/77]

नेमी चन्द जैन, अवर सचिव।

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 2nd March 1977

G.S.R. 105(E).—In exercise of the powers conferred under rule 139 of the Central Excise Rules 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Department of Revenue and Banking No. 293/76-Central Excises dated the 21st December 1976, namely —

In the said notification, for the provisos, the following shall be substituted, namely:—

Explanations—

(1) In the case of flue-cured and air-cured varieties used in the manufacture of cigarettes the number of removals shall be computed only after the stage of re-drying.

(2) The removal of tobacco from one warehouse to another warehouse for the purpose of affixing "Agmark", special processing or treatment for which the first warehouse does not have the facilities, and the return of the same, if any, to the first warehouse or the removal of virginia variety of tobacco from a warehouse for inspection by buyers, and return of the same, if necessary to that warehouse, shall be excluded while computing the number of movements for the purpose of this notification."

[No. 34/77.]

N. C. JAIN, Under Secy.

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1977

सा०का०नि० 105(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 139 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (वित्त विभाग) की अधिसूचना सं० 293/76-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 21 दिसम्बर, 1976 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में परन्तुकों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—

(1) सिग्रेटों के विनिर्माण में प्रयुक्त धूम्र नाल संसाधित और वायु संसाधित किस्मों की दशा में अपसरणों की संख्या की गणना केवल पुनः सुखाए जाने की स्थिति के पश्चात् की जाएगी ।

(2) "एगमार्क" लगाने, जहां प्रथम भाण्डागार सुविधाएं नहीं वहां विशेष संसाधन करने अथवा प्रसंस्करण करने, के प्रयोजन के लिए तम्बाकू का एक भाण्डागार से दूसरे भाण्डागार में अपसरण तथा उसका प्रथम भाण्डागार को वापस किया जाना या क्रेताओं द्वारा निरीक्षण के लिए तम्बाकू की वर्जीनिया किस्म का एक भाण्डागार से अपसरण और यदि आवश्यक हो तो उसका उसी भाण्डागार में वापस किया जाना इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए अपसरणों की संख्या परिकलित करते समय गणना में नहीं लिया जाएगा ।" ।

[सं० 34/77]

नैमी चन्द जैन, अवर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977